रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2022] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 2011/कार्तिक 2, 1933

No. 2022] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2011/KARTIKA 2, 1933

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2011

**का.आ. 2427(अ).**—विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि, क्या नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विपिन संघी की अध्यक्षता में एक "विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है ।

[फा. सं. 11011/64/2011-एन ई-III]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2011

**S.O. 2427(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice Vipin Sanghi, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful associations.

[F. No. 11011/64/2011-NE-III]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

3939 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.